



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 585 राँची, बुधवार,

11 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 सितम्बर, 2024

अधिसूचना सं०-07/वि०स० (ता०प्र०) -11/2022-5028-- झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, हजारीबाग अन्तर्गत विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं अन्य जिलों में गृहरक्षकों के नामांकन/नवनामांकन से जुड़े प्रकरण निर्णय हेतु लंबित है। उक्त के आलोक में गृहरक्षकों के नामांकन/नवनामांकन से जुड़े विवादित / निर्णयाधीन मामलों की समीक्षा / जाँच हेतु निम्नवत् अंतर्विभागीय समिति का गठन किया जाता है :-

- (1) श्री प्रदीप तिग्गा, अपर सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची - अध्यक्ष
- (2) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव/उप सचिव स्तर के पदाधिकारी - सदस्य
- (3) राजस्व पर्षद, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी - सदस्य
- (4) श्री शैलेश कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची - सदस्य

(क) समिति, गृहरक्षकों के नामांकन/नवनामांकन से जुड़े विवादित / निर्णयाधीन मामलों की समीक्षा / जाँच कर एक माह के अन्दर इस विभाग को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समर्पित करेगी ।

(ख) समिति को संबंधित विभाग/निदेशालय/कार्यालय के पदाधिकारी को प्रसंगाधीन मामले में विचार-विमर्श हेतु बुलाने का अधिकार होगा ।

(ग) समिति को संबंधित जिलों में भ्रमण करने का अधिकार होगा। यात्रा के दौरान होने वाली व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी ।

(घ) प्रसंगाधीन मामले की समीक्षा / जाँच के क्रम में संबंधित पदाधिकारी/कार्यालय द्वारा वांछित अभिलेख / दस्तावेज समिति को उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
